न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 137/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/266
दायर दिनांक :– 20.06.2025 निर्णय दिनांक :– 17.04.2026

1. श्रंगारी पत्नी भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर

–वादिनी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादिनी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादिनी की खरीदसुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 10/3 रकबा 4.3949 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्व विकय पत्र के वादिनी ने खरीद की थी जिसमें वादिनी का बोलता नाम शिवप्यारी पत्नी भंवरलाल टंकित किया हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खरीद अनुसार वादिनी के पक्ष में नामान्तरकरण भी भरा जाकर स्वीकृत हो चुका है लेकिन वादिनी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम श्रंगारी पत्नी भंवरलाल है इसी नाम से वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में दर्ज है और घर परिवार व गांव में भी वादिनी को वर्तमान में श्रंगारी पत्नी भंवरलाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है तथा इसी नाम से सभी संव्यवहार करता है लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादिनी का नाम शिवप्यारी पत्नी भंवरलाल ही दर्ज है। उक्त भिन्नता की वजह से वादिनी अपनी विकास कार्य व अन्य किसी भी कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादिनी ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 10/3 रकबा 4.3949 हैक्टेयर भूमि में दर्ज वादिनी के बोलते नाम शिवप्यारी पत्नी भंवरलाल के स्थान पर सही एवं वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम श्रंगारी पत्नी भंवरलाल के नाम से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर कथन किया कि वादिनी स्वयं सिद्व करे जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादिनी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1, भंवरलाल पुत्र बिजाराम के बयान पी.डब्लू–2, माधुराम पुत्र बरसिंगाराम के बयान पी. डब्लू–3 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता वादिनी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम जम्भेश्वरनगर पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 10/3 रकबा 4.3949 हैक्टेयर स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में शिवप्यारी पत्नी भंवरलाल दर्ज है। बादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत बज्जू खालसा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वादिनी व अन्य के बयान् इत्यादि से साबित है कि वादिनी का नाम श्रंगारी पत्नी भंवरलाल है। वादिनी के बयान पी.डब्लू–1 में पंजीबद्व विक्रय विलेख प्रदर्श–1 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श–1ए, कार्यालय ग्राम पंचायत बज्जू खालसा द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श–2, जमाबंदी प्रदर्श–3, आधार कार्ड प्रदर्श–4ए, जन आधार प्रदर्श–5ए है। वादिनी को शिवप्यारी पत्नी भंवरलाल के स्थान पर श्रंगारी पत्नी भंवरलाल के नाम से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादिनी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 10/3 रकबा 4.3949 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम शिवप्यारी पत्नी भंवरलाल के स्थान पर श्रंगारी पत्नी भंवरलाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. श्रंगारी पत्नी भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी बज्जू खालसा तहसील बज्जू जिला बीकानेर

–वादिनी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 137/202

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 10/3 रकबा 4.3949 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम शिवप्यारी पत्नी भंवरलाल के स्थान पर श्रंगारी पत्नी भंवरलाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.04.2026 को जारी की गई।

Satya..
(सत्य नारायण–I R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।